

फर्द अहकाम
(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
घीसुलाल पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल
निवासी पादरला तहसील बाली चगौरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/3
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
01/01/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1515 रकबा 0.67 हैक्टर कुल लगान 5.36 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बीजापुर एवं निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
धीसुलाल पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल
निवासी पादरला तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली


किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/3
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम बीजापुर स्थित भूमि खसरा नंबर 1515 रकबा 0.67 हैक्टर के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बीजापुर एवं निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/01/25 को जारी की गई।



3
(दिनेश विश्‍नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली



खसरा संख्या : 1515 क्षेत्रफल : 0.6700 Hectare खाता संख्या : 987 पुराना खाता संख्या : 988
भूमा किसिम [क्षेत्रफल लगान] : नहरी सोयम [0.6700, 5.36]

- 1.) श्रीधरलाल पुत्र भीखाराम जी हसिसा- 1/2 जाति- मेघवाल मकान संख्या- 0, कॉलोनी- पादरला, क्षेत्र/स्थान- पादरला, शहर- पादरला, पिन कोड- 306707, जिला - PALI, राज्य- RAJASTHAN खातेदार
- 2.) शंकरलाल पुत्र शविलाल हसिसा- 1/2 जाति- गुरु सा. देह खातेदार

Shri Dharam
श्रीधरलाल

[Signature]
सक्षम-अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

- नोट :-
1. यह परपत्र केवल प्रारंभिक जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रवृत्तियों में संशोधन/सत्यापन परतलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

[Signature]
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

[Signature]
तहसीलदार (मू.अ.) बाली